न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/80

एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड रामगंजमण्डी जरिये मुख्तार श्री बहादुर सिंह आत्मज श्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी बाजार नम्बर 01 रामगंजमण्डी जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.1976 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. अपीलान्ट अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर ग्राम दुर्जनपुरा तहसील रामगंजमण्डी के गत खसरा नम्बर 15, 16, 46 एवं 72 की कुल 10 बीघा 07 बिस्वा बंजड भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । उप जिलाधीश द्वारा केवल मात्र आवंटन योग्य भूमि को कम करने के ध्येय से यह संपरिवर्तन किया है जबकि उक्त नम्बरान का रास्ते के रूप में न तो पहले उपयोग होता था और न वर्तमान में उपयोग होता है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि को गैर मु0 रास्ता दर्ज करने का अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.1976 निरस्त फरमाया जावे ।

3. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी की लीज में माईनिंग कार्य की चाल विवादित भूमि के समीप आई तो प्रार्थी कम्पनी को ज्ञात हुआ कि जिस भूमि को कम्पनी बंजड समझ रही थी वह अनाधिकृत तौर पर गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया है । इस कारण अब प्रार्थी गै0मु0 रास्ते से काफी दूर तक माईनिंग का कार्य नहीं कर सकेगी और इस कारण कम्पनी को काफी क्षति होने की संभावना है । प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1976 से व्यक्ति पक्षकार है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश करन कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। प्रार्थी की माईनिंग की चाल जब गै0मु0 रास्ते के पास आई तो प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी दिनांक 01.02.2015 को हुई जिस पर प्रार्थी ने अविलम्ब नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु उक्त रिकॉर्ड नहीं होने से उनका आवेदन दिनांक 16.02.2015 को खारिज कर दिया और उक्त खारिज आवेदन की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.07.1976 को ग्राम दुर्जनपुरा तहसील रामगंजमण्डी गत खसरा नम्बर 15, 16, 46, 72 की कुल 10 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजड भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 16, 17, 49 एवं 79 दर्ज किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र आवंटन योग्य भूमि को कम करने के ध्येय से यह संपरिवर्तन किया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान का रास्ते के रूप में न तो पहले उपयोग होता था और न वर्तमान में ही उपयोग होता है । अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । उक्त भूमि के सभी तरफ काबिल काश्त भूमि है । अपीलान्ट के खनन पट्टे में वादग्रस्त आराजी सन् 1959 से चला आ रही है । जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः विलम्ब का शमन किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को पुनः बजंड दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । आराजी जनहित में गै0मु0 रास्ता दर्ज की गई है जिसके बाबत् आपत्ति करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के साथ नामान्तरकरण संख्या 78 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है । पत्रावली के साथ नकल प्राप्त करने के आवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड तहसील के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है ।

9. अपीलान्ट के द्वारा सन् 1976 में ग्राम दुर्जनपुरा की वादग्रस्त आराजी को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश को इस अपील के माध्यम से चैलेंज किया है जो कि गंभीर रूप से अवधि बाधित है । साथ ही सरकारी आराजी जो कि जनहित में गै0मु0 रास्ता दर्ज की गई है उसे चैलेंज करने का अपीलान्ट को कोई लोकसस्टेण्डाई (Locus-Standi) नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.1976 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा